

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

आदेश

क्रमांक 434/गोपनीय/2016  
दो-2-1/2016 (भाग-ए)

जबलपुर, दिनांक **8** अप्रैल, 2016


भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीश को निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है। साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:-

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री सत्येन्द्र सिंह	अलीराजपुर	उज्जैन	उज्जैन	सिविल जिला, उज्जैन। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त स्थान पर।
2	श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा	मुरैना	बुरहानपुर	बुरहानपुर	सिविल जिला, बुरहानपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री एम0 वाय0 मंसूरी के स्थान पर।
3	श्री दीपक कुमार अग्रवाल	भिण्ड	बालाघाट	बालाघाट	सिविल जिला, बालाघाट। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त स्थान पर।
4	श्री राजेन्द्र कुमार (वर्मा)	देवास	अलीराजपुर	अलीराजपुर	सिविल जिला, अलीराजपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री सत्येन्द्र सिंह के स्थान पर।

टिप्पणी :-

- (1) आदेश क्रमांक 309/गोपनीय/2016, दिनांक 14 मार्च, 2016, जहां तक इसका संबंध श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण), अधिनियम, मुरैना का, मुरैना से छिन्दवाड़ा स्थानान्तरण से है, एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।
- (2) आदेश क्रमांक 309/गोपनीय/2016, दिनांक 14 मार्च, 2016, जहां तक इसका संबंध श्री दीपक कुमार अग्रवाल, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण), अधिनियम, भिण्ड का, भिण्ड से दमोह स्थानान्तरण से है, एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।
- (2) आदेश क्रमांक 309/गोपनीय/2016, दिनांक 14 मार्च, 2016, जहां तक इसका संबंध श्री राजेन्द्र कुमार (वर्मा), द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास का, देवास से श्योपुर स्थानान्तरण से है, एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।



क्रमांक 435/गोपनीय/2016  
दो-2-1/2016 (भाग-बी)

जबलपुर, दिनांक 8 अप्रैल, 2016

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तत्संबंधी स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश की हैसियत से तथा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा-1-2-90-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 26-10-95, अधिसूचना क्रमांक फा0-1-2-90-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 19-2-97 एवं क्रमांक 1-2-90-इक्कीस-अ(एक), दिनांक 7-5-99 तथा क्रमांक फा01-2-90/21-ब (एक), दिनांक 4-5-2007 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 की संख्या 33) की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट सारणी के तत्संबंधी स्तम्भ (7) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्थ एवं नियुक्त करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 की संख्या 2) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में निर्दिष्ट अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है :-


#### सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	सत्रखण्ड का नाम	न्यायालय के संदर्भ में टिप्पणी	विशेष न्यायालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री महेश कुमार भदकारिया	गुना	श्योपुर	श्योपुर	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से।	श्योपुर
2	श्री भाऊराव पाटिल	रायसेन	दमोह	दमोह	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से।	दमोह
3	कुमारी शोभा पोरवाल	धार	ग्वालियर	ग्वालियर	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से।	ग्वालियर
4	श्री प्रभात कुमार मिश्रा	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से।	छिन्दवाड़ा

#### टिप्पणी :-

- (1) आदेश क्रमांक 310/गोपनीय/2016, दिनांक 14 मार्च, 2016, जहां तक इसका संबंध कुमारी शोभा पोरवाल, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, धार का, धार से खुरई जिला सागर स्थानान्तरण से है, एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,

  
(मनीहर ममतानी)  
रजिस्ट्रार जनरल

प्रतिलिपि:-

1. उपनियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स हबीबगंज, भोपाल-6, को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल-462004, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
3. रजिस्ट्रार, म0प्र0 राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, 76, अरेरा हिल्स, भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
4. महालेखाकार, (लेखा/हकदारी) प्रथम (टी0एम0 अनुभाग), कार्यालय महालेखाकार, (लेखा/हकदारी) प्रथम, मध्यप्रदेश, लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर- 474002, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
5. महालेखाकार (2) मध्यप्रदेश, ग्वालियर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
6.
  1. श्री सत्येन्द्र सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर,
  2. श्री महेश भदकारिया, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना,
  3. श्री भाऊराव पाटिल, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन,
  4. श्री प्रभात कुमार मिश्रा, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा,  
को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु अग्रेषित। वे कृपया अपनी पदस्थापना के नये स्थान पर दिनांक 20-04-2016 तक अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करें। कार्यभार सौंपने एवं ग्रहण करने संबंधी सूचना इस रजिस्ट्री को तत्काल प्रेषित करें।
  5. श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण), अधिनियम, मुरैना,
  6. श्री दीपक कुमार अग्रवाल, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण), अधिनियम, भिण्ड,
  7. श्री राजेन्द्र कुमार (वर्मा), द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास,
  8. कुमारी शोभा पोरवाल, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, धार  
उक्त न्यायिक अधिकारीगण रजिस्ट्री के पूर्व आदेश क्रमांक 309/गोपनीय/2016, दिनांक 14 मार्च, 2016 एवं आदेश क्रमांक 310/गोपनीय/2016, दिनांक 14 मार्च, 2016 के द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन में अपनी पूर्व पदस्थापना से दिनांक 30-03-2016 को कार्यभार मुक्त होकर अपनी पदस्थापना के नये स्थान पर दिनांक 11-04-2016 को कार्यभार ग्रहण करने वाले थे, अतः उक्त न्यायिक अधिकारियों को अपने इस आदेश द्वारा की जा रही परिवर्तित पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने को सुकर बनाने के लिये, उनके कार्यभार ग्रहण करने की अवधि, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (कार्यभार ग्रहण काल) नियम, 1982 के नियम 5 के अंतर्गत, दो दिवस के लिये बढ़ायी जाती है, ताकि वे इस आदेश में दर्शित पदस्थापना पर दिनांक 13-04-2016 को अवश्यमेव कार्यभार ग्रहण कर सकें।
  7. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना/ रायसेन/ छिन्दवाड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वे कृपया संबंधित अधिकारी को इस प्रकार कार्यभार मुक्त होने संबंधी निर्देश देवें जिससे कि वे अपनी पदस्थापना के नये स्थान पर दिनांक 20-04-2016 तक अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण कर सकें। कार्यभार सौंपने संबंधी सूचना इस रजिस्ट्री को शीघ्र प्रेषित करें।
  8. कार्यालय अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, धार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
  9. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन/ बुरहानपुर/ बालाघाट/ अलीराजपुर/ श्योपुर/ दमोह/ ग्वालियर/ मुरैना/ भिण्ड/ देवास/ सागर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
  10. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, \_\_\_\_\_ को सूचनार्थ अग्रेषित।

  
89/4/16

- 11 रजिस्ट्रार (आई0टी0), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को निम्न न्यायिक अधिकारियों को आदेश की प्रति ई-मेल द्वारा प्रेषित करने हेतु :-
- (1) जिला जज (निरीक्षण), उच्च न्यायालय प्रांगण, जबलपुर/ जिला जज (निरीक्षण), जे0ई0-1, जजेस एनक्लेव, रेसीडेन्सी ऐरिया, इन्दौर - 452001/ जिला जज (निरीक्षण), 28/बी, रेसकोर्स रोड, मेला ग्राउण्ड के सामने, ग्वालियर (म0प्र0) को सूचनार्थ अग्रेषित।
  - (2) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर/इन्दौर को सूचनार्थ अग्रेषित।
  - (3) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर, न्यू हाईकोर्ट बिल्डिंग, सिटी सेन्टर, ग्वालियर को सूचनार्थ अग्रेषित।
  - (4) सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, 574, साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
  - (5) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, (सतर्कता)/ (न्यायिक)/ (I.L.R. & Examination), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
  - (6) रजिस्ट्रार (Exam & Labour Judiciary)/ (जिला स्थापना)/ (व्ही0एल)/ (न्यायिक-2)/ (न्यायिक-1)/ (न्यायिक-3)/ रजिस्ट्रार/सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/ (प्रशासन), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
  - (7) संचालक/अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 12 रजिस्ट्रार (ई0)/लेखा अधिकारी/ बजट अधिकारी/ ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकाल)/ डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 13 रजिस्ट्रार-कम-माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के प्रमुख निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।
- 14 माननीय न्यायाधिपति श्री \_\_\_\_\_ के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।
- 15 माननीय न्यायाधिपति श्री \_\_\_\_\_ के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर/इन्दौर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।
- 16 माननीय न्यायाधिपति श्री \_\_\_\_\_ के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर/ग्वालियर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।
- 17 डिप्टी रजिस्ट्रार एवं रजिस्ट्रार जनरल के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 18 अनुभाग अधिकारी, पेन्शन /बजट/ सहायक (कार्य)/ शिकायत/ वेतन निर्धारण (राजपत्रित)/ अग्रिम/ अवकाश (राजपत्रित)/ सिविल चेकर/ क्रिमिनल चेकर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।

  
 (मनोहर ममतानी)  
 रजिस्ट्रार जनरल